

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/100  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00086  
CICOM/R/2019/00249

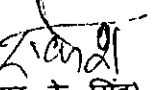
दिनांक: 18.04.2019

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,  
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,  
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,  
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 18.04.2019

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 06.03.2019                        |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 22.03.2019                        |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री एस. सी. शर्मा                |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 05.04.2019                        |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 130/12.04.2019 (11289/11.04.2019) |

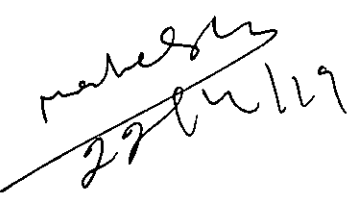
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 3 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 06.03.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00249 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

  
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

  
  
27/4/19

